स्कूल तक की दूरी: शिक्षा के अधिकार और सुरक्षित पहुँच का सवाल

मुख्य परीक्षा विश्लेषण | शिक्षा, सामाजिक न्याय और परिवहन | समाचार-संदर्भ: 27 अक्टूबर 2026 | प्रकाशित: 27 अक्टूबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

विद्यालय में नामांकन हो जाना और रोज़ सुरक्षित ढंग से वहाँ पहुँच पाना अलग बातें हैं। 27 अक्टूबर की एक समाचार-रिपोर्ट ने पहले राष्ट्रीय गृहस्थ यात्रा सर्वेक्षण (NHTS) के विद्यार्थी-यात्रा आँकड़ों को शिक्षा के अधिकार और पड़ोसी विद्यालय की व्यवस्था से जोड़कर चर्चा उठाई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मूल तथ्यपत्र के अनुसार, 6–14 वर्ष आयु के 60.6% विद्यार्थियों ने अपने बुनियादी पाठ्यक्रम की शिक्षण संस्था तक एक किलोमीटर या अधिक की यात्रा दर्ज की। यह स्कूल तक पहुँच की नीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत है, लेकिन अपने-आप में RTE के उल्लंघन की दर नहीं है।

पड़ोसी विद्यालय का अर्थ क्या है?

शिक्षा मंत्रालय के समग्र शिक्षा कार्यान्वयन-ढाँचे के अनुसार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की **धारा 6** पड़ोस की निर्धारित सीमा में विद्यालय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी रखती है। **धारा 38** के अंतर्गत उपयुक्त सरकार नियम बनाती है। इसलिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की अधिसूचित पड़ोस-सीमाएँ देखना जरूरी है।

एक और तीन किलोमीटर की सीमा:
केंद्रीय नियमों में कक्षा I–V के लिए एक किलोमीटर और VI–VIII के लिए तीन किलोमीटर की पैदल दूरी का मानक है। मंत्रालय का यही ढाँचा स्पष्ट करता है कि ये केंद्रीय पड़ोस-मानक बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू हैं; राज्य और अन्य

केंद्रशासित प्रदेश अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियम अधिसूचित करते हैं। इन्हें बिना राज्य-नियम देखे पूरे देश का एक जैसा कानूनी मानक नहीं कहना चाहिए।

भूगोल और दिव्यांगता:
केंद्रीय नियम कठिन भूभाग, बाढ़, भूस्खलन, सड़क की कमी और बच्चों के रास्ते में खतरे जैसी परिस्थितियों के लिए मानकों में छूट की व्यवस्था भी रखते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त और सुरक्षित परिवहन का उल्लेख है। नीति का उद्देश्य केवल नक्शे पर दूरी नापना नहीं, वास्तविक पहुँच बनाना है।

NHTS में क्या दर्ज हुआ?

NSO ने सर्वेक्षण जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच किया। MoSPI की 5 अक्टूबर की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसमें 14,274 गाँव, 10,377 शहरी ब्लॉक, 4,92,023 परिवार और 20,34,371 व्यक्ति शामिल थे। सर्वेक्षण में एक किलोमीटर से कम की यात्राएँ दर्ज नहीं की गईं। शिक्षा-संबंधी यात्रा में बुनियादी पाठ्यक्रम की संस्था शामिल है, निजी ट्यूशन और कोचिंग नहीं।

- **6–14 वर्ष:** शिक्षण संस्था तक एक किलोमीटर या अधिक की यात्रा करने वाले विद्यार्थियों का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में 59.0%, शहरों में 64.4% और अखिल भारत में 60.6% था।
- **15–29 वर्ष:** यही हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में 79.1%, शहरों में 73.3% और अखिल भारत में 77.0% था। इस आयु-समूह को केवल उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का आँकड़ा नहीं मानना चाहिए।
- **पैदल यात्रा:** ऐसी दर्ज यात्रा करने वाले 6–14 वर्ष के विद्यार्थियों में 47.3% का प्राथमिक साधन पैदल चलना था। इसका अर्थ सभी बच्चों में 47.3% नहीं है; हर प्रतिशत का आधार-समूह ध्यान में रखना होगा।

MoSPI के अनुसार, संदर्भ-अवधि में ऐसी यात्रा करने वाले छह वर्ष और उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संस्था आने-जाने का औसत मासिक यात्रा-खर्च ग्रामीण क्षेत्र में ₹361 और शहरों में ₹617 था। इसमें परिवार द्वारा वहन किया गया यात्रा-खर्च शामिल है। ये सभी आयु-समूहों के ऐसे यात्रियों के औसत हैं, केवल प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का खर्च नहीं।

60.6% को सीधे कानून-उल्लंघन क्यों नहीं कह सकते?

आयु और कक्षा एक नहीं:
सर्वेक्षण का 6–14 वर्ष आयु-समूह प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक दोनों स्तरों को समेटता है। दूसरी ओर दूरी के नियम कक्षा और संबंधित राज्य-व्यवस्था पर निर्भर हैं। सभी बच्चों की यात्रा को एक किलोमीटर की सीमा से जाँचना गलत होगा।

चुना हुआ स्कूल और उपलब्ध स्कूल अलग हैं:
किसी बच्चे का दूर के विद्यालय में पढ़ना यह सिद्ध नहीं करता कि पास में विद्यालय उपलब्ध ही नहीं था। विद्यालय की गुणवत्ता, माध्यम, परिवार की पसंद और अन्य कारणों की अलग जाँच चाहिए। यह भी नहीं मान सकते कि हर दूर की यात्रा स्वैच्छिक है।

यात्रा का माप और कानूनी पहुँच अलग हैं:
तथ्यपत्र एक किलोमीटर या अधिक की यात्रा दर्ज करता है। इससे पैदल चलने योग्य सुरक्षित रास्ते, निकटतम विद्यालय की दूरी, प्रवेश की उपलब्धता या विशेष सहायता की पर्याप्तता अपने-आप नहीं पता चलती। ये आँकड़े जाँच की शुरुआत हैं, अंतिम कानूनी फैसला नहीं।

आगे की राह

हमारा विश्लेषण है कि शिक्षा और परिवहन विभागों को विद्यालय-मानचित्र तथा वास्तविक यात्रा-मार्ग साथ देखने चाहिए। किसी गाँव में विद्यालय पास दिख सकता है, लेकिन नदी, बिना पुल की सड़क या खतरनाक चौराहा पहुँच कठिन बना सकता है। शहरी क्षेत्र में दूरी कम होकर भी यातायात और लागत बड़ा अवरोध बन सकते हैं।

पहला काम राज्य के अधिसूचित पड़ोस-मानक के अनुसार कक्षा-वार उपलब्धता जाँचना है। दूसरा, बच्चों के वास्तविक मार्ग, यात्रा-समय और साधन का स्थानीय आकलन करना चाहिए। तीसरा, विद्यालय बंद करने या समेकित करने के निर्णय में सबसे अधिक प्रभावित बच्चों की पहुँच अलग से देखनी होगी। समग्र शिक्षा का ढाँचा भी कहता है कि विद्यालयों का समेकन किसी एक बच्चे के पड़ोस-मानक के अनुसार पहुँच के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

इसके साथ सुरक्षित पैदल मार्ग, सड़क पार करने की व्यवस्था, साइकिल की सुविधा और जरूरत के अनुसार भरोसेमंद परिवहन उपयोगी उपाय हो सकते हैं। समाधान क्षेत्र के अनुसार चुना जाए; बस उपलब्ध करा देना हर जगह विद्यालय की स्थानीय उपलब्धता का विकल्प नहीं है। दिव्यांग बच्चों और कठिन भूभाग वाले क्षेत्रों के लिए सामान्य औसत से आगे जाकर अलग व्यवस्था की जाँच जरूरी है।

संबंधित लेख: यात्रा-सर्वेक्षण की परिभाषाएँ, कामगारों की आवाजाही और परिवहन-खर्च समझने के लिए पढ़ें: राष्ट्रीय परिवार यात्रा सर्वेक्षण (NHTS): भारत की दैनिक और रात-भर की यात्राओं के आँकड़े।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

“विद्यालय तक पहुँच केवल दूरी का प्रश्न नहीं, शिक्षा के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रश्न है।” NHTS के निष्कर्षों और पड़ोसी विद्यालय की व्यवस्था के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (GS-II, 15 अंक, 250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: विद्यालय की उपलब्धता और वास्तविक पहुँच का अंतर बताएँ।

मुख्य भाग में: कक्षा-वार तथा राज्य-विशिष्ट पड़ोस-नियम, 6–14 वर्ष का 60.6% यात्रा-सूचक, ग्रामीण-शहरी अंतर, रास्ते की सुरक्षा, खर्च और दिव्यांग बच्चों की जरूरत रखें। सीमा स्पष्ट करें: सर्वेक्षण निकटतम स्कूल की अनुपलब्धता या कानून-उल्लंघन की दर सिद्ध नहीं करता।

निष्कर्ष में: विद्यालय-मानचित्र, स्थानीय यात्रा-आकलन और सुरक्षित पहुँच की संयुक्त योजना सुझाएँ।

स्रोत और सीमाएँ

- शिक्षा मंत्रालय: समग्र शिक्षा कार्यान्वयन-ढाँचा, अनुच्छेद 2.4.3–2.4.7।
- MoSPI: NHTS मूल तथ्यपत्र।
- MoSPI: 5 अक्टूबर 2026 की मूल प्रेस विज्ञप्ति और तालिकाएँ।

समाचार-संदर्भ 27 अक्टूबर की शिक्षा और यात्रा-दूरी संबंधी चर्चा है; सर्वेक्षण 5 अक्टूबर को जारी हुआ था। आँकड़े और नियम-संबंधी व्याख्या ऊपर दिए मूल सरकारी स्रोतों पर आधारित हैं। किसी राज्य में नियम-उल्लंघन का निष्कर्ष निकालने के लिए उस राज्य के वर्तमान नियम और विद्यालय-स्तरीय तथ्य अलग से जाँचने होंगे।